न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2023/89 — दायरा दिनांक : 26.06.2023

उनवान

मंजूबाई पुत्री जगन्नाथ पत्नी शंकरलाल जाति मेघवाल (मेघवशी) निवासी माथनी हाल निवासी छजावा तहसील पारा जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1. कांति बाई पुत्री जगन्नाथ
2. चौथमल पुत्र जगन्नाथ
3. प्रभूलाल पुत्र जगन्नाथ
4. मांगीलाल पुत्र जगन्नाथ
   जातियान मेघवाल, निवासीगण माथनी, तहसील व जिला बारां
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री नरेन्द्र कुमार नंदवाना अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री दीपक शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय — **दिनांक : 07.01.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 28/2021 निर्णय व डिक्री दिनांक 30.12.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि प्रार्थीया/वादीया के शामलाती कब्जे, काश्त व स्वामित्व की आराजी खसरा नम्बर 708 रकबा 0.02 हेक्टर खेडा, खसरा नम्बर 709 रकबा 0.09 हेक्टर खेडा, खसरा नम्बर 712 रकबा 0.16 हेक्टर खेडा, खसरा नम्बर 713 रकबा 0.10 हेक्टर खेडा कुल किता 4 कुल रकबा 0.37 हेक्टर वाके माल माथनी, पटवार हल्का माथना तहसील व जिला बारां में अवस्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30.12.2022 से वादिया का वाद खारिज कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां द्वारा ग्राम माथनी की आराजी खसरा नं0 708 रकबा 0.02 हेक्टर, खसरा नं0 709 रकबा 0.09 हेक्टर, खसरा नं0 712 रकबा 0.16 हेक्टर, खसरा नं0 713 रकबा 0.10 हेक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 0.37 हेक्टर बाबत वाद प्रस्तुत किया गया जिसमे वादिया/अपीलांट द्वारा अपना नाम टंकण त्रुटि से मन्जू बाई के स्थान पर नवल बाई दर्ज हो गया है जिसे दुरुस्त कराने की सहायता चाही गई थी तथा प्रतिवादीगण 1 ता

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

4/ रेस्पो० की ओर से इकबालिया जवाब पेश किया गया तथा वादीया/अपीलांट द्वारा वादपत्र के समर्थन में आधार कार्ड, जन आधारकार्ड, पेनकार्ड, राशनकार्ड आदि दस्तावेज पेश किये गये है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों का ठीक प्रकार से विवेचन नहीं किया गया, न न्याय की मंशा को समझने का प्रयास किया गया केवल यह मानकर कि धारा 88, 89, 90 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत नाम दुरूस्त नहीं किया जा सकता है यह मानकर वादिया/अपीलांट का वाद निरस्त किया गया है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय की मंशा को समझने में भारी भूल की गई है इस कारण निर्णय व डिकी दिनांक 30.12.2022 पारित की गई है जो खिलाफ कानून होने से काबिले निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो कानून की मंशा को समझा गया न न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों पर कोई गौर किया गया जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी प्रकार की घोषणा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के वाद में न्यायालय को करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कानूनी पहलू पर कोई गौर न करके मनमाना व विधि विरुद्ध निर्णय व डिकी दिनांक 30.12.2022 पारित किया गया है जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां का निर्णय व डिकी दिनांक 30.12.2022 प्रकरण संख्या 28/2021 बउनवान मंजूबाई बनाम कांति बाई वगैरा निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम माथनी की विवादित आराजियात में अपीलांट का नाम नवलबाई के स्थान पर मन्जू बाई किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 09.02.2023 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आर्डर 41 नियम 27 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश किया, पेश किये गये दस्तावेज राजकीय दस्तावेज होने के कारण रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मन्जू बाई का नाम नवलबाई अंकित हो गया है इस बाबत हमने दुरूस्ती का दावा अधीनस्थ न्यायालय में किया था, जो खारिज हुआ है। प्रतिवादी ने इकबालिया जवाब पेश किया। दिनांक 21.09.2021 को प्रतिवादी की एक्सपार्टी की। जवाब सरकार आना चाहिए था जिससे यह स्पष्ट होता कि उक्त दोनों महिला एक ही है अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30.12.2022 को दावा खारिज कर दिया। धारा 89 का मतलब इन्द्राज दुरूस्ती व रकबा दुरूस्ती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने दावा गलत खारिज किया है। अतः प्रकरण रिमाण्ड किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि हमें नाम दुरूस्त करने तक किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आर्डर 41 नियम 27 सी.पी.सी. के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति पेश की है। पेश किये गये दस्तावेज राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रति है। अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट वादिया ने अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 90 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट के वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि *"प्रार्थीया/वादिया के शामलाती खाते कब्जे काश्त व स्वामित्व की आराजी खसरा नम्बर 708 रकबा 0.02 हेक्टर खेडा, खसरा नम्बर 709 रकबा 0.09 हेक्टर, खसरा नम्बर 712 रकबा 0.16 हेक्टर, खसरा नम्बर 713 रकबा 0.10 हेक्टर कुल किता 04 कुल रकबा 0.37 हेक्टर वाके माल माथनी, पटवार हल्का माथना, तहसील व जिला बारां में अवस्थित है। जिसमें प्रार्थीया/वादिया का 1/5 हिस्सा निहित है। जिस पर प्रार्थीया/वादिया काबिज काश्त चली आ रही है। लेकिन सहवन से खाता सं० नया 140 पुराना 96 में काश्तकार का नाम क्रम 3 पर खातेदार के नाम में नवलबाई पुत्री जगन्नाथ गलत दर्ज हो गया है। जबकि मन्जू बाई पुत्री जगन्नाथ होना चाहिए था। खातेदार का नाम नवलबाई गलत है। खातेदार वास्तविक नाम नवल बाई है। परिचय पत्र, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, पेन कार्ड इत्यादि दस्तावेजों में भी नाम मन्जू बाई है। जो वर्तमान में सभी दस्तावेजों में कायम है। उक्त गलती सहवन से खाते में कायम चली आ रही है।"* खातेदार के नाम में नवलबाई पुत्री जगन्नाथ गलत दर्ज हो गया है, जिसके स्थान पर मन्जू बाई पुत्री जगन्नाथ दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जाये।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण सहखातेदारान की ओर से इकबाली जवाब पेश हुआ। अधीनस्थ न्यायालय ने वादिया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन एवं उभयपक्ष की सुनवाई के पश्चात् अपने निर्णय दिनांक 30.12.2022 से वादिया अपीलांट का वाद खारिज कर निर्णय पारित किया कि *"पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम माथनी सम्वत् 2071–74 खाता सं. 140, में वादिया का नाम नवलबाई दर्ज है। प्रस्तुत नकल, फोटोप्रति आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, राशनकार्ड व प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत खानपुर के अनुसार मन्जू बाई दर्ज है। पेनकार्ड मे मन्जू बाई दर्ज है। वादिया द्वारा मात्र जमाबन्दी की नकल पेश की है। ऐसा कोई वस्तावेजी साक्ष्य व रिकार्ड पेश नहीं किया। जिससे वादिया का नाम क्या था और कैसे गलत किया गया। वादिया द्वारा दावा खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का किया है। धारा 88, 89, 90 आर०टी० एक्ट के तहत नाम दुरुस्त नहीं किया जाता है। खातेदारी अधिकार दिये जाते हैं। ऐसी स्थिति मे वादिया का वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।"*

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट वादिया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम माथनी संवत 2071–2074 खाता संख्या 140 में

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

सहखातेदार के रूप में नवलबाई पुत्री जगन्नाथ का नाम दर्ज रिकार्ड है। अपीलांट वादिया द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज नकल आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, राशन कार्ड बैंक पासबुक, जॉब कार्ड के अनुसार मन्जू बाई पत्नी शंकरलाल दर्ज है परन्तु उक्त दस्तावेजों से यह स्पष्ट नहीं होता कि नवलबाई एवं मन्जू बाई एक ही महिला है। साथ ही अपीलांट द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि जमाबंदी में नाम की गलती कब और कैसे हुई। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेज एवं रेस्पोडेंट के इकबाली जवाब से यह स्पष्ट नहीं होता कि नवलबाई पुत्री जगन्नाथ एवं मन्जूबाई पत्नी शंकरलाल दोनों एक ही महिला है। अतः अपील के इस स्तर पर हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित **निर्णय व डिक्री दिनांक 30.12.2022 यथावत रखा जाता है।**

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

07/01/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)
अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

मंजूबाई पुत्री जगन्नाथ पत्नी शंकरलाल जाति मेघवाल (मेघवशी) निवासी माथनी हाल निवासी छजावा तहसील पारा जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1. कांति बाई पुत्री जगन्नाथ
2. चौथमल पुत्र जगन्नाथ
3. प्रभूलाल पुत्र जगन्नाथ
4. मांगीलाल पुत्र जगन्नाथ
   जातियान मेघवाल, निवासीगण माथनी, तहसील व जिला बारां
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

.... रेस्पोडेंट

अपील नं **2023 / 89**
मु.द.नं0 **28 / 2021**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, बारां**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **30.12.2022**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 10 माह 12 सन् 2024

श्री नरेन्द्र **कुमार नंदवाना** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, श्री **दीपक शर्मा** अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.12.2022 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व **मोहर** अदालत आज तारीख **07** माह **01 सन् 2025** को जारी **किया गया ।**

मोहर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)